न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 170/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/233
दायर दिनांक :– 08.11.2023 निर्णय दिनांक :– 12.08.2025

1. हनीफ खांन पुत्र बंचू खान जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सिकन्दर खांन मंगलिया अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 5.2204 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 282 रकबा 2.4686 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा जोड़ पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। वादी की राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वल्दियत हनीफ पुत्र बचिया दर्ज है जबकि वादी की सही एवं वास्तविक नाम, वल्दियत हनीफ खान पुत्र बंचू खान है तथा इसी नाम, वल्दियत से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी को घर परिवार में हनीफ खान पुत्र बंचू खान नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम हनीफ पुत्र बचिया दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 20.10.2023 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम जोड़ के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम हनीफ पुत्र बचिया के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम व वल्दियत हनीफ खांन पुत्र बंचू खान के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम जोड़ के खसरा नम्बर 281 रकबा 5.2204 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 282 रकबा 2.4686 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी की वल्दियत हनीफ पुत्र बचिया दर्ज है जबकि वादी की सही एवं वास्तविक

12/8/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वल्दियत बंचू खान इसी नाम से वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक डायरी इत्यादि में हनीफ खान पुत्र बंचू खान के नाम से बने हुवे है। इसलिये वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वादी का नाम गुणवगुण पर सही किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी हनीफ खान ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम जोड़ पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 281 रकबा 5.2204 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 282 रकबा 2.4686 हैक्टेयर स्थित है। वादी की वल्दियत राजस्व रेकर्ड में बचिया दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी तथा वादी के भाईयों द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 में अपनी वल्दियत को सही करवाने के लिए जारी आदेश की प्रति इत्यादि से साबित है कि वादी की वल्दियत बंचू खान है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जोड़ पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 281 रकबा 5.2204 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 282 रकबा 2.4686 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज वल्दियत हनीफ पुत्र बचिया के स्थान पर हनीफ खान पुत्र बंचू खान के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/25

(सरवाराम पिरडोल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. हनीफ खांन पुत्र बंचू खान जाति मुसलमान निवासी हिण्डालगोल तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 170/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री सिकन्दर खान मंगलिया मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम जोड़ पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 281 रकबा 5.2204 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 282 रकबा 2.4686 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज वल्दियत हनीफ पुत्र बचिया के स्थान पर हनीफ खान पुत्र बंचू खान के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।